राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 20055/2019

सिमरनराज @ सलमा नट पत्नी युगावेल गुणसेकरन, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी नंदलालपुरा, पोस्ट-महलान, महलान, जयपुर, राजस्थान-303007

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, (जयपुर), जे-14, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर-(राजस्थान), 302051

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री कमलाकर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मधुसूदन राजपुरोहित, अधिवक्ता एवं सुश्री प्रबुद्ध शर्मा, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : सुश्री मंजीत कौर, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

रिपोर्टेबल:-

06/09/2022

वर्तमान याचिकाकर्ता ने शुरू में यह रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की थी कि प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध उसकी जन्मतिथि 26.08.1992 दिखाने वाले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसे पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में संशोधन किया गया तथा निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:-

क) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा दिनांक 26/05/2020 के आक्षेपित संचार और दिनांक 18/06/2020 और 15/06/2020 के आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा और या;

ख) एक उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा प्रत्यर्थीगण को जन्म प्रमाणपत्र संख्या 08110005440041000003/2018 दिनांक 26/08/1992 के आधार पर याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश तुरंत, बिना किसी और देरी के दें।"

रिट याचिका में प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और गलती से उसके जन्म प्रमाणपत्र में उसकी जन्मतिथि 26.08.1992 के बजाय 26.08.1989 दर्ज की गई थी, जो ग्राम पंचायत सवाईजयसिंहपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर (राजस्थान) द्वारा 18.12.2009 को जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसकी शादी 02.07.2014 को हुई थी और 11.08.2016 को जारी उसके विवाह प्रमाणपत्र में उसकी सही जन्मतिथि 26.08.1992 बताई गई थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (इसके बाद '1969 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2000 (इसके बाद '2000 के नियम' के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाएगा।, जिसमें उसकी सही जन्मतिथि 26.08.1992 बताई गई थी और प्रमाणपत्र 05.02.2018 को जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसे 03.05.2010 को पासपोर्ट क्रमांक एच9657895 जारी किया गया था और यह 02.05.2020 तक वैध था और पासपोर्ट में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 26.08.1989 दिखाई गई थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि जन्म प्रमाणपत्र और विवाह प्रमाणपत्र के बीच उल्लेख उम्र में विसंगतियों के कारण प्रत्यर्थीगण द्वारा उसका पासपोर्ट रद्दकर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में अपना पासपोर्ट नवीनीकृत कराया, जो 31.08.2017 से 30.08.2027 तक वैध था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसने ईमेल के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को अपनी शिकायत बताई थी और उसे जन्म प्रमाणपत्र में से एक को रद्द करने के लिए सूचित किया गया था और पासपोर्ट में जन्मतिथि में सुधार के उसके मुद्दे की तदनुसार जांच की जानी थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा भेजे गए ईमेल के अनुसरण में, उसने एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 23266/2018, दायर किया। इस न्यायालय के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व पर निर्णय न होने की शिकायत उठाते हुए, दो में से एक जन्म प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि इस न्यायालय ने 15.03.2019 को ग्राम पंचायत को तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता का पिछला जन्म प्रमाणपत्र दिनांक 18.12.2009 रद्द कर दिया गया था और 26.08.1992 को सही जन्मतिथि पाया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि पहले के जन्म प्रमाणपत्र को रद्द करने के बाद, उसने प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया, हालांकि, प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसने अपने आवेदन की स्थिति के बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी जानकारी प्राप्त की थी और उसे बताया गया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई"।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थीसंख्या 2 ने आक्षेपित संचार जारी किया था और दिनांक 26.05.2020 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया, कि नए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन को इस कारण से रोक दिया गया है कि "पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी करने से इनकार करना या, जैसा भी मामला हो, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ पर कोई समर्थन करने से इनकार करना।"

याचिकाकर्ता को सही विवरण के साथ एक नया आवेदन जमा करने और धारा 5(2) (ग) और धारा 12 (1)(ख), पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (इसके बाद इसे '1967 का

अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए पासपोर्ट आवेदन में तथ्यों को कथित रूप से छिपाने के संबंध में स्पष्टीकरण भी जमा करने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.05.2020 को आक्षेपित संचार प्राप्त होने के बाद, 21 दिनों की समाप्ति से पहले 16.06.2020 को एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया, जैसा कि संचार दिनांक 26.05.2020 में उल्लेख किया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसे 24.06.2020 को दिनांक 15.06.2020 और 18.06.2020 के आक्षेपित आदेश प्राप्त हुए, जिसमें उसे बताया गया कि उसके आवेदन पर आगे कार्रवाई करना संभव नहीं है और आवेदन को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख दिनांक 15.06.2020 के आदेश में किया गया था।

प्रत्यर्थीगण ने संशोधित रिट याचिका पर उत्तर दायर किया है।

प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने पहली बार जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर वर्ष 2010 में पासपोर्ट प्राप्त किया था, जिसमें उसकी जन्मतिथि 26.08.1989 थी और बाद में उसने वर्ष 2017 में अपना पासपोर्ट नवीनीकृत किया जो 30.07.2017 तक वैध था। पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि बताई जो उसके पहले पासपोर्ट में दर्ज किया गया था।

प्रत्यर्थीगण ने अनुरोध किया है कि यदि वर्ष 2010 में शुरू में कोई विसंगति थी, तो याचिकाकर्ता अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए उचित आवेदन जमा करके त्रुटि को ठीक करवा सकती थी और इस तथ्य के बावजूद कि उसका नवीनीकृत पासपोर्ट 30.08.2027 तक वैध था। उसने 05.02.2018 को जारी किए गए नए जन्म प्रमाणपत्र के साथ पासपोर्ट अनुदान के लिए वर्ष 2018 में एक और आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने पहली बार में, रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, ग्राम पंचायत सवाईजयसिंहपुरा, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर द्वारा जारी दिनांक 15.12.2009 का जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जबकि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र दिनांक 05.02.2018 को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी को प्रस्तुत किया और उक्त प्रमाणपत्र स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत सवाईजयसिंहपुरा, फागी, जिला जयपुर के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने कानून की उचित

प्रक्रिया का पालन किए बिना बाद का प्रमाणपत्र प्राप्त किया और ग्राम पंचायत के आगे के रिकॉर्ड की तुलना बाद की जन्मतिथि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले कभी नहीं की गई और इस तरह, दस्तावेज़ अर्थात बाद में जारी किया गया जन्मतिथि प्रमाणपत्र, एक धोखाधड़ी वाला दस्तावेज़ है।

प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि 05.02.2018 को जारी किया गया दूसरा जन्म प्रमाणपत्र विवाह के पंजीकरण की तारीख के बाद का है और इस तरह, या तो इसे किसी अन्य फर्जी दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया था या विवाह प्रमाणपत्र भी धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।

प्रत्यर्थीगण ने पासपोर्ट के लिए आवेदन देने का अनुरोध किया है और यात्रा दस्तावेज़ को 1967 के अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है और 1967 के अधिनियम की धारा 6 पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है।

प्रत्यर्थीगण ने यह भी दलील दी है कि 1967 के अधिनियम की धारा 10, पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट में बदलाव करने, जब्त करने और रद्द करने का अधिकार देती है।

प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि 1967 के अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों में याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का प्रावधान है और इस तरह, उसने वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया है।

प्रत्यर्थीगण ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों पर भी भरोसा किया है और इस प्रकार, अध्याय 3 के दिशा निर्देश 6 विशेष रूप से जन्मतिथि में बदलाव से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता को जन्मतिथि में बदलाव के लिए पात्र नहीं माना जाता है।

प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि उन्हें सरकारी स्कूल, सवाईजयसिंहपुरा के प्रिंसिपल से एक रिपोर्ट मिली थी और इस प्रकार, कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण का उचित अवसर देने के बाद पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अपास्त कर दिया गया था।

प्रत्यर्थीगण ने अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 28.05.2020 को ईमेल के माध्यम से कारण बताओ नोटिस भेजा था और संचार से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 21 दिनों के भीतर प्रत्यर्थी-अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता थी

और नोटिस के 21 दिनों के भीतर उत्तर दायर करने की ऐसी कोई शर्त नहीं है। और वास्तव में याचिकाकर्ता को 7 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का उत्तर दायर करना था।

प्रत्यर्थीगण ने अनुरोध किया है कि दिनांक 05.02.2018 का दूसरा जन्म प्रमाणपत्र एक धोखाधड़ी वाला दस्तावेज है और इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

विद्वान वरिष्ठ परामर्शदाता-श्री कमलाकर शर्मा ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत हुए निम्नलिखित दलीलें दीं:-

(1) दिनांक 26.05.2020 के आक्षेपित संचार में याचिकाकर्ता के पासपोर्ट आवेदन को अपास्त कर दिया गया और आदेश पूर्व-निर्धारित था क्योंकि याचिकाकर्ता को एक नया आवेदन दायर करने के लिए कहा गया था और ऐसा संचार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

(2) दिनांक 15.06.2020 और 18.06.2020 के आक्षेपित निर्णयों में गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, जबकि याचिकाकर्ता ने 21 दिनों की समाप्ति से पहले उत्तर दायर किया था।

(3) याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.06.2020 के संचार के अनुसरण में 21 दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत किया था और नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले ही याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय 15.06.2020 को लिया गया था। तदनुसार, ये आदेश अवैध हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत हैं। दिनांक 15.06.2020 और 18.06.2020 के आक्षेपित आदेश बिना दिमाग लगाए पारित किए गए हैं और आक्षेपित आदेश में एकमात्र कारण बताया गया है कि प्रत्यर्थीगण ने रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवेदन को अस्वीकार माना है, ऐसा तर्क प्रथम दृष्टया मनमाना है और बिना दिमाग लगाए जारी किया गया है।

(4) याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का आवेदन केवल 1967 के अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित आधार पर ही अपास्त किया जा सकता है, अन्य आधार पर नहीं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण को कोई आधार नहीं मिला है याचिकाकर्ता द्वारा धारा 6 का उल्लंघन करने का उल्लेख किया गया है और इस प्रकार,

आक्षेपित आदेश 1967 के अधिनियम की धारा 5 और 6 में निहित अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत हैं।

(5) याचिकाकर्ता की सही जन्मतिथि दिखाने वाला जन्म प्रमाणपत्र 1969 के अधिनियम और 2000 के नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार जारी किया गया था, पासपोर्ट अधिकारियों के पास वैधता पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार क्षेत्र और शक्ति नहीं थी। ऐसे प्रमाणपत्र की और यह धारणा बनानी होगी कि यह प्रमाणपत्र याचिकाकर्ता की जन्मतिथि के प्रयोजन के लिए एक वैध प्रमाणपत्र है।

(6) याचिकाकर्ता को पासपोर्ट या वीजा की किसी भी शर्त के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया है और इस तरह, धारणाओं और अनुमानों पर, प्रत्यर्थीगण को संदेह नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने गलत जानकारी दी है या उसने अपना सही जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कोई अवैधता की है। और इस प्रकार, 1967 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के अभाव में, प्रत्यर्थीगण की आक्षेपित कार्रवाई विधिकरूप से टिकाऊ नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता-सुश्री मंजीत कौर प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

(1) याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट अधिकारियों के समक्ष फर्जी दस्तावेज दायर किया है और इस प्रकार, अधिकारियों ने पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अपास्त करते हुए सही आदेश पारित किया है।

(2) याचिकाकर्ता की सही जन्मतिथि के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में थे और यदि संबंधित स्रोतों अर्थात स्कूल आदि से जानकारी प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता की जन्मतिथि सही ढंग से नहीं दिखाया गया है, तो अधिकारियों को पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

(3) याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक पासपोर्ट जारी करने के बाद और बाद में नवीनीकरण के समय भी, कहीं भी यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि उसकी जन्मतिथि 26.08.1989 नहीं थी, बल्कि 26.08.1992 थी और इस तरह, गलत जन्म

प्रमाणपत्र प्राप्त करके, याचिकाकर्ता के पक्ष में 26.08.1992 की जन्मतिथि दर्शाने वाला पासपोर्ट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं बनता है।

(4) अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को स्पीड पोस्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा था और उससे 7 दिनों के भीतर उत्तर मांगा था और चूंकि वह उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उत्तर दायर करने में विफल रही, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(5) यदि याचिकाकर्ता के पास अपनी सही जन्मतिथि दर्शाने वाला आवश्यक दस्तावेज है, तो वह पासपोर्ट जारी करने के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है और अधिकारी कानून और विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता- श्री कमलाकर शर्मा ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. **सिडको बनाम वसुधा गोरखनाथ मांडेवलेकर (सिविल अपील संख्या 3615/2006)**, उच्चतम न्यायालय द्वारा 15.05.2009 को निर्णय दिया गया।

2. **ईश्वरलाल मोहनलाल ठक्कर बनाम पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2014) 6 एससीसी 434।**

3. **सुनीता साहनी और यूओआई और अन्य [डब्ल्यू.पी. (सी) 10839/2015]**, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 03.12.2015 को निर्णय लिया गया।

4. **हाजी मनु बनाम यूओआई एवं अन्य, 2014 (2) आरएलडब्ल्यू 929 (राजस्थान)।**

5. **हरन चंद्र हलदर बनाम यूओआई और अन्य (2014) 4 सीएचएन (सीएएल) 62।**

6. **सुश्री शिल्पी बनाम यूओआई और अन्य (एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6598/2014)**, इस न्यायालय द्वारा 10.08.2016 को निर्णय लिया गया।

7. **क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बनाम कोकिलाबेन और अन्य (एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 1761/2006**, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 05.12.2008 को निर्णय लिया गया।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध

सामग्री का अवलोकन किया है।

इस न्यायालय को सबसे पहले दिनांक 26.05.2020 के संचार की वैधता को देखना आवश्यक है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार कर दिया।

इस न्यायालय ने पाया कि पासपोर्ट अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पति को दिनांक 26.05.2020 को भेजे गए ईमेल में यह सूचित किया गया था कि आवेदन की प्रक्रिया रोक दी गई थी और उसे एक उपयुक्त स्पष्टीकरण देना था और एक नया आवेदन प्रस्तुत करना था। सही विवरण के साथ उक्त ईमेल में उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया था जिनके तहत याचिकाकर्ता के बारे में कहा जाता है कि उसने पासपोर्ट आवेदन में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी और 1967 के अधिनियम की धारा 5(2)(ग) के तहत दिनांक 19.06.2018 के आवेदन को अस्वीकार करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, और 1967 के अधिनियम की धारा 5(2)(ख) के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी थी। उक्त ईमेल में याचिकाकर्ता को विशेष रूप से 21 दिनों के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर में संपर्क करने के लिए भी कहा गया है।

इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 26.05.2020 को 1967 के अधिनियम की धारा 5(2) (ग) के तहत अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस दायर किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को 7 दिनों के भीतर उचित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था।

इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थीगण ने 26.05.2020 को मेल भेजते समय याचिकाकर्ता को 21 दिनों के भीतर प्रत्यर्थीगण से संपर्क करने के लिए कहा है और उसी दिन, कारण बताओ नोटिस भी जारी करने की बात कही गई है, जिसके तहत उससे 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर 16.06.2020 को अर्थात 26.05.2020 को ईमेल प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर दायर किया था। यह न्यायालय समझ नहीं पा रही है क्योंकि एक तरफ, याचिकाकर्ता को भेजे गए ईमेल में उसे 21 दिनों के भीतर संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी तरफ, 26.05.2020 के कारण बताओ नोटिस में 7 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ दायर कथित कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.05.2020, उसे कभी भी प्रदान नहीं किया गया था और दस्तावेज़ में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का कोई हस्ताक्षर या मुहर नहीं है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को उक्त नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि प्रत्यर्थी एक ही संदर्भ संख्या एससीएन/316024218/20 के साथ 26.05.2020 को दो दस्तावेज़ जारी नहीं कर सकता है, जिनकी सामग्री में भिन्नता है। इस न्यायालय ने पाया कि दिनांक 26.05.2020 के नोटिस में याचिकाकर्ता को 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था, तो प्रत्यर्थीगण ने मनमाने तरीके से काम किया है और इस तरह, यह याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के आवेदन को अस्वीकार करने के उनके पूर्व निर्धारण को दर्शाता है और तदनुसार पत्र दिनांक 26.05.2020 कानून के अनुरूप नहीं पाया गया। प्रत्यर्थीगण ने एक ओर ईमेल में बताया कि उन्होंने पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है और कारण बताओ नोटिस में उन्होंने 7 दिनों में उत्तर मांगा है। यह अधिनियम स्वयं विरोधाभासी है।

इस न्यायालय को अब दिनांक 15.06.2020 के आदेश की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है और इस प्रकार, अधिकारियों ने 1967 के अधिनियम की धारा 5(2)(ग) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को पासपोर्ट सुविधाएं अपास्त कर दी हैं। यह न्यायालय, 1967 के अधिनियम की प्रासंगिक धारा 5 और 6 को यहां उदरित करना उचित समझता है:-

> **“5. पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज़ आदि के लिए आवेदन और उन पर आदेश-**
>
> (ए) इस अधिनियम के तहत ऐसे विदेशी देश या देशों (जो कि नामित विदेशी देश नहीं है) का दौरा करने के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है, जैसा कि आवेदन में निर्दिष्ट किया जा सकता है, पासपोर्ट प्राधिकरण को दिया जा सकता है और इसके साथ ऐसा शुल्क भी लगाया जाएगा जो कि हो सकता है। पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज़ जारी करने में विशेष सुरक्षा कागज, मुद्रण, लेमिनेशन और अन्य संबंधित विविध सेवाओं पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में, "नामित विदेशी देश" का अर्थ ऐसा विदेशी देश है जिसे केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

(1ए) इस मुद्दे के लिए एक आवेदन-

(i) इस अधिनियम के तहत किसी नामित विदेशी देश में जाने के लिए पासपोर्ट; या

(ii) इस अधिनियम के तहत एक यात्रा दस्तावेज, ऐसे विदेशी देश या देशों (नामित विदेशी देश सहित) का दौरा करने के लिए जो आवेदन में निर्दिष्ट किया जा सकता है या पासपोर्ट पर समर्थन के लिए, या

इस अनुभाग में उल्लिखित यात्रा दस्तावेज़, पासपोर्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके साथ ऐसी फीस (यदि कोई हो) पचास रुपये से अधिक नहीं होगी, जो निर्धारित की जाए। (1बी) इस धारा के तहत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) इस धारा के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, पासपोर्ट प्राधिकरण, ऐसी जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, लिखित आदेश द्वारा, -

(क) पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों को पृष्ठांकन के साथ जारी करेगा, या, जैसा भी मामला हो, आवेदन में निर्दिष्ट विदेशी देश या देशों के संबंध में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर पृष्ठांकन करेगा; या

(ख) पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ को पृष्ठांकन के साथ जारी कर सकता है, या, जैसा भी मामला हो, आवेदन में निर्दिष्ट एक या अधिक विदेशी देशों के संबंध में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ पर पृष्ठांकन कर सकता है और दूसरे देश या देशों के संबंध में; पृष्ठांकन करने से इंकार कर सकता है; या

(ग) पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी करने से इंकार कर देगा या, जैसा भी मामला हो, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ पर कोई समर्थन करने से

इंकार कर देगा।

(3) जहां पासपोर्ट प्राधिकारी किसी व्यक्ति के आवेदन पर उप धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत आदेश देता है, वह लिखित रूप में एक संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगा ऐसा आदेश देने के अपने कारणों का विवरण दें और मांगे जाने पर उस व्यक्ति को इसकी एक प्रति दें, जब तक कि किसी भी मामले में पासपोर्ट प्राधिकारी की राय न हो कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा के हित में नहीं होगा। भारत, किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध या आम जनता के हित में ऐसी प्रति प्रस्तुत करना।

6. पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज़ देने से इंकार वगैरह।

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकरण धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत किसी भी विदेशी देश में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर समर्थन करने से इंकार कर देगा। निम्नलिखित में से अधिक आधार, और कोई अन्य आधार नहीं: -

(क) कि आवेदक ऐसे देश में भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकता है या संलग्न होने की संभावना है:

(ख) कि ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है या होने की संभावना है;

(ग) कि ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति उस या किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या पड़ने की संभावना है,

(घ) कि केंद्र सरकार की राय में आवेदक की ऐसे देश में मौजूदगी जनहित में नहीं है।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार कर देगा खंड (ग)

धारा 5 की उपधारा (2) के तहत किसी भी विदेशी देश का दौरा निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधार पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, अर्थात्:-

(क) कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है।

(ख) कि आवेदक भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में भारत के बाहर शामिल हो सकता है या शामिल होने की संभावना है।

(ग) कि आवेदक का भारत से प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है या होने की संभावनाहै;

(घ) कि भारत के बाहर आवेदक की उपस्थिति किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या पड़ने की संभावना है;

(ड.) कि आवेदक को, उसके आवेदन की तारीख से ठीक पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय, भारत की किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसके संबंध में कम से कम दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई हो।;

(च) कि आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है;

(छ) आवेदक की उपस्थिति के लिए वारंट या सम्मन, या गिरफ्तारी के लिए वारंट, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है या आवेदक के भारत से प्रस्थान पर रोक लगाने वाला कोई आदेश दिया गया है, ऐसे किसी न्यायालय द्वारा बनाया गया हो।;

(ज) आवेदक को स्वदेश वापस भेज दिया गया है और उसने ऐसे स्वदेश वापसी के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है;

(झ) कि केंद्र सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

इस न्यायालय द्वारा धारा 5 की उप-धारा (2)(सी) के अवलोकन पर पता चलता है कि पासपोर्ट प्राधिकरण के पास पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार करने की शक्ति है तो उसे ऐसा आदेश देने के लिए लिखित और संक्षिप्त बयान या कारण दर्ज करना होगा।

आक्षेपित आदेश के मात्र अवलोकन से केवल यह संदर्भ मिलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पहला पासपोर्ट जारी करने के समय जो स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था, उसकी वास्तविकता और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार सही जन्मतिथि की पुष्टि करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा गया था, लेकिन स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण ने स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आवेदक-याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 26.08.1989 होने की पुष्टि की।

इस न्यायालय ने पाया कि पासपोर्ट प्राधिकरण धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के तहत विभिन्न आधारों पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकता है, जैसा कि धारा 6 की उप-धारा (2) में (क) से लेकर (झ) तक बताया गया है।

उक्त धारा का अवलोकन याचिकाकर्ता के मामले को किसी भी आकस्मिक स्थिति में नहीं लाता है, जहां याचिकाकर्ता का पासपोर्ट अस्वीकार किया जा सकता है।

इस न्यायालय ने पाया कि पासपोर्ट प्राधिकरण ने गलती से उस प्राधिकरण की शक्ति छीन ली है, जो 1969 के अधिनियम और 2000 के नियमों के तहत निहित प्रावधानों के तहत जन्म प्रमाणपत्र पासपोर्ट जारी करने में सक्षम है।

इस न्यायालय ने पाया कि यदि पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि, जन्म स्थान या नाम के संबंध में कोई विवाद या मतभेद है, तो पासपोर्ट अधिकारियों से अपनी स्वतंत्र जांच करने की उम्मीद नहीं की जाती है, खासकर जब ऐसी प्रविष्टियां मूल अभिलेखों के आधार पर पासपोर्ट में दर्ज की जाती हैं, जो पासपोर्ट धारक द्वारा प्रस्तुत किये जाते है।

यह न्यायालय आगे पाता है कि यदि पहले से प्रस्तुत रिकॉर्ड में कोई गलती है, जिसके आधार पर प्रविष्टियाँ पहले ही की जा चुकी हैं, तो यह उस पक्ष पर निर्भर है, जो संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सुधार करने के बाद दस्तावेजों को प्रस्तुत

करने के लिए सुधार चाहता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल न्यायालय, जैसा भी मामला हो। पासपोर्ट प्राधिकारी हमेशा पक्षकारों को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत कार्यरत प्राधिकारियों से या न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट से, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने की अपनी क्षमता में हैं। सही दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर, पासपोर्ट अधिकारियों को तुरंत पासपोर्ट में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता होती है।

यह न्यायालय, पासपोर्ट अधिकारियों की शक्ति के उपरोक्त दायरे पर विचार करते हुए, मामले के वर्तमान तथ्यों में पाता है कि यदि याचिकाकर्ता को अधिकारियों द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 26.08.1992 है और उसका पिछला जन्म प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में, पासपोर्ट प्राधिकारी याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाणपत्र को किसी भी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया मानने की शक्ति नहीं ले सकते थे।

इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता, जिसके पास एक समय में दो जन्म प्रमाणपत्र थे, ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता के जन्मतिथि के पहले प्रमाणपत्र को रद्द करने का निर्देश देने के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया था, और अंततः वह अब अस्तित्व में नहीं है और केवल जन्मतिथि के बाद के प्रमाणपत्र को एक वैध दस्तावेज कहा जा सकता है, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में मौजूद है और इस प्रकार, उसे पासपोर्ट दस्तावेज़ सहित विभिन्न दस्तावेजों में अपनी सही जन्मतिथि दिखाने के लिए विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और वह उत्तर दायर करने में विफल रही, इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए पहले के निष्कर्षों के मद्देनजर अपास्त किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि याचिकाकर्ता ने फर्जी तरीके से दूसरा जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और उसने वर्ष 2017 में पासपोर्ट के नवीनीकरण के समय भी अधिकारियों को कभी सूचित नहीं किया, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि यदि याचिकाकर्ता का जन्म तारीख, जन्मतिथि का बाद का प्रमाणपत्र जारी करके सही ढंग से दिखाया गया है, उसे अपने पासपोर्ट में सही जन्मतिथि दर्शाने का अधिकार था और

तदनुसार उसने अधिकारियों के समक्ष पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया था जैसा कि पहले वाला पासपोर्ट प्रत्यर्थीगण द्वारा रद्द कर दिया गया था।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी के पास स्कूल प्राधिकारियों से याचिकाकर्ता की सही जन्म तिथि 26.08.1989 होने के बारे में पर्याप्त जानकारी है, याचिकाकर्ता को इसकी आपूर्ति है और उसने संबंधी सामग्री की जानकारी दबा दी है, और पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सका, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि के बारे में स्कूल प्राधिकारियों से एकत्र की गई जानकारी 1969 के अधिनियम और 2000 के नियमों के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के जन्मतिथि के पहले प्रमाणपत्र को रद्द कर दिए जाने के बाद अधिक प्रासंगिक नहीं थी।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बनाम कोकिलाबेन और अन्य (सुप्रा.) के मामले में पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा जांच के दायरे पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां उद्धृत किया गया है:-

> “12. इसलिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि पासपोर्ट प्राधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि, जन्मस्थान या नाम के संबंध में कोई विवाद या अंतर होने पर अपनी स्वतंत्र जांच करें, खासकर जब प्रविष्टियां एक बार की गई हों पासपोर्ट धारक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर बनाया गया। यदि पहले से प्रस्तुत रिकॉर्ड में कोई गलती है, जिसके आधार पर प्रविष्टियाँ पहले ही की जा चुकी हैं, तो यह उस पक्ष पर निर्भर है जो संबंधित वैधानिक अधिकारियों, न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट द्वारा आवश्यक सुधार करने के बाद दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहता है। मामला हो सकता है पासपोर्ट प्राधिकारी हमेशा पक्षकारों को जन्म और मृत्यु रजिस्टर के तहत काम करने वाले प्राधिकारियों से या न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट से, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने में सक्षम हैं, सही दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर, पासपोर्ट अधिकारी तुरंत पासपोर्ट में आवश्यक सुधार करेंगे।

तदनुसार, इस न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित संचार दिनांक 26.05.2020 और आदेश दिनांक 15.06.2020 और 18.06.2020 विधिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं और इन्हें रद्द कर दिया गया है।

यह न्यायालय याचिकाकर्ता को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, जयपुर को नए सिरे से आवेदन करने का निर्देश देती है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्मतिथि का प्रमाणपत्र भी शामिल है, जिसमें दिखाया गया है कि उसका जन्म 26.08.1992 को हुआ है और प्रत्यर्थी-अधिकारी इस पर विचार करेंगे, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ और याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय, अधिमानतः इसकी प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।